

**SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998**  
**IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)**

Case No..... Complaint or report made on .....

Name and address of the Complainant.....  
 .....  
 .....  
 .....

Name, parentage, caste and address of accused

- ① उपर की S/O खुल्ला सिंह लाटव R/O वास १२०२ गोहड़
- ② हेमन्त S/O R/O पाण्डे R/O चमकल नगरी - गोहड़
- ③ भारत S/O खुल्ला सिंह लाटव R/O वास १२०२ गोहड़
- ④ राधेश्याम S/O नगरी, २१ वर्ष R/O गोहड़

The offence, complaint of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक २५/०६/१७ को करीब १२:०० बजे मुकाम सार्वजनिक स्थान लाटव चमकल नगरी के क्षेत्र गोहड़ पर ताश के पत्तों से रुपये पैसे की हार जीत का दांव लगाकर जुआ खेलते हुए पाए गए।

ऐसा करके आपने सार्वजनिक द्यूत अधिनियम १८६७ की धारा १३ के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

**हस्ता.**

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

उपमहा  
 भारत  
 हेमन्त  
 राधेश्याम

**हस्ता.**

The offence proved. If any and in case under clause(d) clause(f) clause(g) of sub section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.




// निर्णय //

(आज दिनांक 3-7-17 को घोषित)

01. आरोपी/गण को स्वेच्छिक संस्वीकृति के आधार पर उसे सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत स्वेच्छया स्वीकारोक्ति के आधार पर दण्डनीय अपराध का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
02. दण्ड के प्रश्न पर विचार किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध अभिलेख पर कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं है। अतः आरोपी की संस्वीकृति एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी/गण को सार्वजनिक धृत अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए अर्थदण्ड 100-100 रुपये (प्रत्येक अभियुक्त के लिये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि के संदाय के व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त/गण को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।
03. अभियुक्तगण से जप्तशुदा राशि 650 अपील अवधि पश्चात् राजसात् की जाये तथा जप्तशुदा मूल्यहीन सम्पत्ति ताश 52 पत्तों को नष्ट कर व्ययनित की जाये। सुपुर्दगी पर दी गयी संपत्ति के संबंध में सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त समझा जावे। अपील की दशा में मान0 अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो। जब्तशुदा अन्य संपत्ति अपराध से संबंधित एवं उसकी विषय वस्तु न होने से जिस व्यक्ति से जब्त की गयी उसे लौटाई जावे।

मेरे निर्देशन पर टंकित

  
(A.K. Gupta)

Judicial Magistrate First Class  
Gohad distt Bhind (M.P.)